14595

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

वरिष्ठ कोषाधिकारी
सम्भल 9200

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH फोटो प्रमाणित कर्ता- हाजी जहीर अनवर BX 396060

-: लीज डीड :-

अवधि : 30 साल । औसत वार्षिक किराया: 30000/- सालाना

आराजी पैमायशी ४ कुल 12790वर्ग मीटर स्थित ग्राम :हबीबपुर

तहसील व जिला सम्भल । स्टाम्प-7220/-

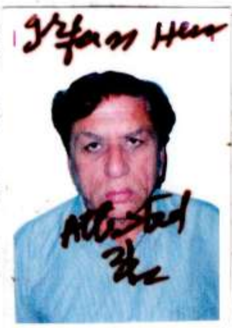

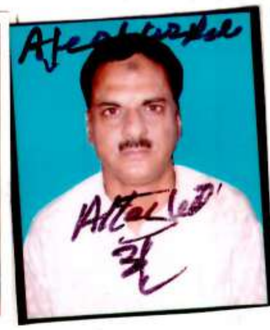

हम कि इरफान हुसैन पुत्र हाजी मकसूद हुसैन निवासी लोधी सराय सम्भल हाल निवासी मौहल्ला नखासा, सम्भल व गुफरान हुसैन व हसीबुर्रहमान

नि०इरफान हुसैन नि०गुफरान हुसैन नि०हसीबुर्रहमान नि०अजीबुर्रहमान

नि०लबीबुर्रहमान नि०खलीबुर्रहमान नि०रशीदा बेगम नि०लबीबुर्रहमान

Rusheda Begum

तारीख 13/12/16 मूल्य 5000 नाम हबीबुर्रहमान एजूकेशनल ट्रस्ट सम्भल
पुत्र श्री निवासी द्वारा अध्यक्ष लबीबुर्रहमान S/o हबीबुर्रहमान लोधीसराय
नं० 14 लाइसेंस 1 अ०नं०-138
कुलदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता तहसील सम्भल

लीज डीड 30 साल
औसत बा.कि. 30 लाख

निबन्धक शुल्क	मिलान शुल्क	योग	शब्द लगभग
3600	60	3660	600

श्री लबीबुर्रहमान पुत्र/S/o श्री हबीबुर्रहमान
पेशा खेती निवासी लोधीसराय
परगना व तहसील सम्भल जिला सम्भल ने कार्यालय उप निबन्धक सम्भल में
आज दिनांक 14.12.16 दिन
समय मध्य 3 बजे बजे दिन के प्रस्तुत किया

उप निबन्धक
14.12.16

इस लेख को सुन व समझकर व धनराशि रुपये चले जानकारी प्राप्त कर श्री इरफान हुसैन S/o हा. मकसूद हुसैन नि० लोधी सराय हाल नखासा सम्भल व गुफरान हुसैन व हसीबुर्रहमान S/o मकसूद हुसैन नि० लोधी सराय हाल दीपासराय व अतीकुर्रहमान S/o मकसूद हुसैन व लबीबुर्रहमान व खलीकुर्रहमान S/o हबीबुर्रहमान व रशीदा बेगम पत्नी हबीबुर्रहमान नि० लोधी सराय सम्भल प्रथम पक्ष व हबीबुर्रहमान एजूकेशनल ट्रस्ट सम्भल आफिस मोहल्ला नखासा सम्भल द्वारा अध्यक्ष लबीबुर्रहमान द्वितीय पक्ष ने स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन करने की पहचान श्री शमीकुर्रहमान
पुत्र अतीकुर्रहमान
निवासी नखासा सम्भल
परगना व तहसील सम्भल व जिला सम्भल
व श्री मो० नसीम
पुत्र मकसूद हुसैन
निवासी दीपासराय
परगना व तहसील सम्भल जिला ने की।

उप निबन्धक
सम्भल
14-12-16

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 710785

पुत्रगण हाजी मकसूद हुसैन निवासी लोधी सराय हाल निवासी दीपा सराय, सम्भल व अजीबुर्रहमान पुत्र हाजी मकसूद हुसैन व लबीबुर्रहमान व वतीबुर्रहमान पुत्रगण स्व0हबीबुर्रहमान व रूशीदा बेगम पत्नी हबीबुर्रहमान निवासी लोधी सराय, सम्भल तहसील व जिला सम्भल (प्रथमपक्ष/लीजकर्ता/सम्पत्ति स्वामी) एवं हबीबुर्रहमान ऐजूकेशनल ट्रस्ट, सम्भल आफिस मोहल्ला नखासा, देहली रोड, सम्भल तहसील व जिला सम्भल द्वारा अध्यक्ष लबीबुर्रहमान पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी लोधी सराय, सम्भल तहसील व जिला सम्भल (द्वितीयपक्ष/लीजप्राप्तकर्ता/किरायेदार) के है जो कि प्रथमपक्ष निम्न वर्णित

नि0इरफान हुसैन नि0गुफरान हुसैन नि0हसीबुर्रहमान नि0अजीबुर्रहमान

नि0लबीबुर्रहमान नि0वतीबुर्रहमान नि0रूशीदा बेगम नि0लबीबुर्रहमान

Rusheda Begam

तारीख 13/12/16 मूल्य 1000 नाम [illegible]
पुत्र श्री [illegible] निवासी [illegible]
नं0 14 मा0नं0 24 लाo-10--13S [illegible]
कुलदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता [illegible]

Rusheda Begum

साक्षी नं0 1 व 2 जो प्रकटतः सज्जन प्रतीत होते हैं, चिन्ह अंगुष्ठ नियमानुसार लिये गये।

उप निबन्धक
सम्भल
14-12-16

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 3 AW 710786

सम्पत्ति/आराजी के मालिक व काबिज है और हर तरह के मालिकाना हक रखते है। द्वितीयपक्ष ने प्रथम-पक्ष की निम्न वर्णित सम्पत्ति को लीज पर लेने का इजहार किया, जिसको देखते हुए प्रथमपक्ष ने अपनी निम्न आराजी द्वितीयपक्ष को विद्यालय स्थापित करने हेतु अंकन 30000/-रू० वार्षिक किराये पर 30 साल के लिए निम्न शरायतों के तहत किराये/लीज पर दी है:-

1-यह कि लीज की अवधि दिनांक 14-12-2016 से 12-12-2046ई0 (30साल) तक रहेगी और उक्त अवधि मे द्वितीयपक्ष, प्रथमपक्ष को नियमानुसार किराया अंकन 30000/-रू० सालाना अदा करता रहेगा।

2-यह कि निम्न वर्णित सम्पत्ति मे द्वितीयपक्ष विद्यालय की स्थापना करेगा और विद्यालय की ईमारत बनाने, मानचित्र स्वीकृत कराने का पूर्ण अधिकार द्वितीयपक्ष को रहेगा, इसमे प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

नि0इरफान हुसैन नि0गुफरान हुसैन नि0हसीबुर्रहमान नि0अजीबुर्रहमान

नि0लबीबुर्रहमान नि0वतीबुर्रहमान नि0रुशीदा बेगम नि0लबीबुर्रहमान

Rusheda Begum

तारीख 13 12/6 मूल्य [illegible]
पुत्र श्री निवासी [illegible]
नं0 14 3-5 लाइ0नं0 135 [illegible]
कुलदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता [illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DF 880141

3-यह कि द्वितीयपक्ष को विद्यालय की स्थापना हेतु नक्शा पास कराने, भवन बनाने सम्बन्धित विभागो से सभी प्रकार के प्रामाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4-यह कि द्वितीयपक्ष विद्यालय की मान्यता हेतु निम्न सम्पत्ति/भवन पर किसी भी प्रकार की सम्बन्धित विभागीय अनुमति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभी शिक्षा बोर्डों एवं अन्य सभी सम्बन्धित विभागो से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अनुदान आदि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी होगा।

5-यह कि द्वितीयपक्ष निम्न वर्णित सम्पत्ति मे अपने नाम से बिजली, पानी, टेलीफोन, नेट आदि के कनेक्शान लेने का अधिकारी होगा और उसके समस्त बिल/टैक्स आदि की अदायगी द्वितीयपक्ष स्वयं वहन करेगा।

6-यह कि निम्न सम्पत्ति की रंगाई, पुताई, मरम्मत आदि करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को बना रहेगा।

नि०इरफान हुसैन नि०गुफरान हुसैन नि०हसीबुर्रहमान नि०अजीबुर्रहमान

नि०लबीबुर्रहमान नि०खतीबुर्रहमान नि०रशीदा बेगम नि०लबीबुर्रहमान

Rusheda Begum

तारीख 13/12/16 मूल्य 100 नाम [illegible]
पुत्र श्री [illegible] निवासी [illegible]
सं० 14 [illegible]
[illegible] स्टाम्प विक्रेता [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

08 DEC 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 5 DF 880142

7-यह कि उक्त अवधि के दौरान प्रथमपक्ष निम्न सम्पत्ति किसी अन्य को रहन, बैय आदि नही करेगा और न ही किसी को लीज /किराये पर देगा।

8-यह कि उक्त अवधि मे द्वितीयपक्ष के कब्जे /विद्यालय के संचालन मे प्रथमपक्ष कोई आपत्ति नही करेगा और न किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करेगा।

9-यह कि द्वितीयपक्ष निम्न सम्पत्ति मे कोई गैर कानूनी कार्य नही करेगा।

10-यह कि प्रत्येक दशा मे निम्न सम्पत्ति के स्वामी प्रथमपक्ष हैं व रहेंगे।

11-यह कि लीज की अवधि समाप्त होने पर द्वितीयपक्ष निम्न सम्पत्ति प्रथमपक्ष के कब्जे व दखल मे दे देगा।

12-यह कि द्वितीयपक्ष विद्यालय के संचालन मे होने वाली समस्त कार्यवाही को करने के पूर्ण अधिकारी होंगे।

13-यह कि दोनो पक्ष व उनके वारिसान इस लीज डीड के पूरी तरह से पाबन्द रहेंगे और किसी को इसकी खिलाफ वर्जी का हक न होगा।

नि0इरफान हुसैन नि0गुफरान हुसैन नि0हसीबुर्रहमान नि0अजीबुर्रहमान

नि0लबीबुर्रहमान नि0वतीबुर्रहमान नि0रशीदा बेगम नि0लबीबुर्रहमान

तारीख 13/12/16 मूल्य 100 नाम [illegible]
पुत्र श्री निवासी [illegible]
क्र0 14 ला0नं0 55 ला0नं0—135
कुलदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता [illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

03AD 502666

तफसील आराजी मकनाई कुल पैमायशी 12790वर्ग मीटर स्थित ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला सम्भल ,जो गाटासंख्या 322/1-234हे0 मे से 12340वर्ग मीटर व गाटा सं0324/0-295हे0 मे से 450वर्ग मीटर, की लीज 30 साल के लिए की जा रही है।

उत्तर आराजी प्रथमपक्ष आदि

गाटा सं0322

पश्चिम
आराजी प्रथमपक्षगण

पूरब
आराजी जफरूल इस्लाम
व अतीकुर्रहमान आदि

गाटा सं0324

दक्खिन सम्भल-हसनपुर मार्ग

नि0इरफान हुसैन नि0गुफरान हुसैन नि0 हसीबुर्रहमान नि0अजीबुर्रहमान

Gufrani

नि0लबीबुर्रहमान नि0अतीबुर्रहमान नि0रूशीदा बेगम नि0नबीबुर्रहमान

Rusheda Begum

तारीख 13/12/6 मूल्य 10 नाम [illegible]
पुत्र श्री निवासी [illegible]
क्र0 14 ला0नं0 ला0नं0—135
कुलदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 — भारत — सत्यमेव जयते — INDIA — TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AD 502667

अतः यह लीज डीड रूबरू गवाहान एहतियातन बतौर सबूत के तहरीर करा दी कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे। इति।

नोटः- पृष्ठ 3सतर 2 मे है व की के बीच द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष मददा तहरीर है।

प्रथमपक्ष नि0इरफान हुसैन नि0गुफरान हुसैन नि0हसीबुर्रहमान नि0अजीबुर्रहमान

Irfan — Gufran — Ajeeb

नि0लबीबुर्रहमान नि0वतीबुर्रहमान नि0रशीदा बेगम द्वितीयपक्ष नि0लबीबुर्रहमान

Rusheda Begum बहैसियत अ पक्ष

गवाह 1 शाकीबुर्रहमान पुत्र अजीबुर्रहमान नि0नखासा, सम्भल ।

गवाह 2 मो0नसीम पुत्र मकसूद हुसैन नि0दीपा सराय, सम्भल ।

Shafeeq

तहरीर व तारीख 14-12-16 वमसवददेय हाजी जहीर अनवर एड0 द्वारा दीपक कुमार टाईपिस्ट तहसील सम्भल पर टाईप हुआ।

तारीख 13/12 मूल्य 10 नाम [illegible]
पुत्र श्री निवासी [illegible]
हु0 14 ग्रा0नग लाइ0न0—135
कुलदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता [illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश

14/12/16

I 7969 305/310

14595

उप निबंधक

[illegible]